न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 261/2014 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2013/00040

1. बलवीर सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी डबली कुतुबबास तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।(मृत्तक)

1/1. अमरजीत कौर
1/2 जसवीर कौर
1/3 मनजीत कौर
} पुत्रियां विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासीगण डबलीबास कुतुबबास तहसील व जिला हनुमानगढ़

— अपीलांट्स

बनाम

1. गुरजीत कौर उर्फ गोली तथाकथित पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी डबली कुतुबबास तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर अभिभाषक अपीलांट
श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1

निर्णय

दिनांक 23.09.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.06.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके चक 10 एस.डी. के मु.नं. 111/407 में 2.277 हैक्टेयर, मु.नं. 109/405 में 2.783 हैक्टेयर कुल 5.060 हैक्टेयर आवंटित खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष अपने पिता बलवीर सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पेश किया, जिस पर अपीलांट द्वारा एतराज दर्ज करवाने पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से इन्कार कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश के खिलाफ रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील की, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने स्वीकार कर लिया। अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की, जिस पर आदेश पारित करते हुए अपीलांट की द्वितीय अपील को खारिज कर दिया। अपीलांट ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त आदेश के खिलाफ राजस्व मण्डल कैम्प बीकानेर मे रिवीजन दायर की, जिसे आदेश दिनांक 21.03.2012 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 21.03.2012 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2013 पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिमाण्ड आदेश में निर्धारित जांच बिन्दुओ का सरसरी तौर पर निपटारा करके वादगत भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। अपीलांट के निमित जारी रजिस्टर्ड सम्मन के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर ही इकतरफा की कार्यवाही कर दी, जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के निर्देशों की अनदेखी करके महज पटवारी रिपोर्ट व अपास्त निर्णय के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादगत भूमि वसीयत करते समय गैर खातेदारी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट बलवीर सिंह को अपील पेश करने की लॉकस्स्टेण्डाई ही नहीं है। अपीलांट का वादगत भूमि में कोई हित निहित नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. बलवीर सिंह ही मूल आवंटी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 05.09.1999 को ही हो चुकी थी तथा रेस्पोडेन्ट जिनकी पुत्री है। अपीलांट बलवीर सिंह कुंवारा ही सन् 2019 में फौत हुआ है। अपीलांट के पास आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष आवंटन उसके पिता के नाम होने के समस्त सबूत पेश किये है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता को जिस समय आवंटन किया गया उस वक्त अपीलांट का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2013 पूर्णतया तथ्यों व साक्ष्यों की जांच करने के उपरांत ही किया गया हैं, जो सही हैं। वरवक्त बहस अपीलांट से आवंटन पट्टा मांगा गया था जो अपीलांट पेश नहीं कर सके। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

- आर.आर.डी. 1992 पेज सं. 99

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन संबंधी दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2013 माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 21.03.2012 में दिये गये निर्देशों का विश्लेषण करते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2013 न्यायोचित होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर